**विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,**
**कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव**

UPUN010043082026

**जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या:– 1832/2026**

1. **जावेद पुत्र:– कल्लन,**
**निवासी:– ग्राम भटियापुर, थाना:– बांगरमऊ, जिला:– उन्नाव**
**.....प्रार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

1. **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक एस०सी०/एस०टी० एक्ट उन्नाव,**
2. **राजेश कुमार:– गुरूदीन, निवासी:– ग्राम भटियापुर, थाना:– बांगरमऊ, जिला:– उन्नाव**
**.....प्रतिवादीगण**

**मुकदमा अपराध संख्या:– 132/2023,**
**धारा:– 323, 504, 506 भा०दं०सं०**
**एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,**
**थाना:– बांगरमऊ, जिला:– उन्नाव**

**प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र**

**दिनांक:– 20.07.2026**

अभियुक्त **जावेद** की ओर से **मु०अ०सं०:– 132/2023, धारा:– 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– बांगरमऊ, जिला:– उन्नाव** में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दाखिल प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके पूर्व प्रार्थी ने न किसी न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया है न विचाराधीन है न ही खारिज हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेश कुमार जाति चमार पुत्र गुरुदीन निवासी ग्राम भटियापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव का निवासी है। दिनांक 29.03.23 को समय 5.30 बजे दिन में प्रार्थी अपने दरवाजे पर बैठा। उसी समय जावेद पुत्र कल्लन निवासी ग्राम उपरोक्त आकर प्रार्थी को लात घूंसो से मारने लगे गंदी गंदी जाति सूचक गाली दी। जान से मार डालने की धमकी दी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की जांचकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थी निर्दोष है महज गलत तरीके से गांव की पार्टी बन्दी के बिना पर फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने वादी मुकदमा को न मारा पीटा न गाली गलौज की न जाति सूचक शब्दो का इस्तेमाल किया न जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है प्रार्थी को गांव वालो के बहकावे में आकर वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन व पार्टी की बिना पर झूठा झुसाया गया है प्रार्थी ने उल्लिखित धाराओं का कोई भी अपराध कारित

नही किया है। प्रार्थी को न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा प्रेषित कोई भी सम्मन थाना पुलिस बांगरमऊ द्वारा नही दिया गया अब प्रार्थी को न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा जारी BW20000 का जमानतीय वारण्ट थाना पुलिस बांगरमऊ द्वारा प्रदान किया गया है प्रार्थी उसी आधार पर हाजिर अदालत आया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके पूर्व प्रार्थी ने न किसी न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया है न विचाराधीन है न ही खारिज हुआ है। प्रार्थी श्रीमान् जी के समक्ष उपस्थित होकर अपने आपका आत्मपर्ण कर चुका है। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने पर न कही भागेगा और न ही गवाहान सबूत पर असर डालेगा तथा न्यायालय श्रीमान् जी के आदेशानुसार बराबर हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादी मुकदमा के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी को नोटिस तामीला पर्याप्त है। वादी या वादी के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त मुकदमे में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 14.07.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। आरोप–पत्र में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

## आदेश

अभियुक्त **जावेद** की ओर से **मु०अ०सं०:– 132/2023, धारा:– 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना:– बांगरमऊ, जिला:– उन्नाव** में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन **स्वीकार** किया जाता है तथा अभियुक्त द्वारा रू० 20,000/–(बीस हजार रूपए) का स्वबंध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

**दिनांक:– 20.07.2026**

**विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/**
**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव**